मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण

2437. **श्री अजीत जोगी:**
श्री सुशील बरोंगपा:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। रायगढ़, भोपाल, चिरीमिरी, रतलाम, छत्तीसगढ़, रायपुर, कोरबा और नागदा में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में शिकायतें मिली हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतें अशोधित/आंशिक रूप से शोधित बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन के कारण प्रतिकूल प्रभावों के बारे में हैं।

(ग) मध्य प्रदेश के 8 शहरों में परिवेशी वायु-गुणवत्ता की निगरानी की जाती है और विभिन्न कस्बों के 46 केन्द्रों पर जल-गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। सरकार ने प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) बहिस्राव और उत्सर्जन के विसर्जन को निर्धारित मानकों के भीतर सीमित रखने के लिए उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्वीकृति अपेक्षाओं का अनुपालन करने को कहा गया है।

(3) परिवेशी वायु-गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों द्वारा साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु स्कीम शुरू की गई है।

(5) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

Interaction with ONGC for oil drilling

2438. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether his Ministry has ever had any interaction with ONGC on the *minimum safeguards to be undertaken* while drilling for oil;

(b) if so, the details of such discussion;

(c) what was the outcome;

(d) whether there was any consensus between your Ministry and the ONGC on ecological issues; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (e) Yes, Sir. All the proposals of ONGC for environmental clearance are examined by the Ministry as per procedure already laid down. Continuous interaction is being maintained with all the concerned authorities in ONGC for implementation of various safeguards stipulated while environmental clearance are accorded. The environmental clearances are always accorded only after satisfying the ecological issues that are likely to arise during the implementation of project and after production commences.

Environmental havoc of non-degradable plastic materials

2439. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that articles of non-degradable plastic material left as litter, are creating havoc to the

environment, particularly in the urban areas of the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures being taken by Government to tackle this menace?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) The articles of non-degradable plastic material left as litter, are not creating havoc to the environment, as these are being recycled and reused.

वृक्षारोपण

2440. **श्री रामजीलाल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा कितने वृक्ष लगाये गये हैं, उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं और कितने सूख गये हैं, उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन-वर्षों के दौरान और वर्ष 1995-96 में इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन पेड़ों के सूखने के कारणों के बारे में कोई जांच करायी है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वनरोपण के संबंध में सरकार की नीति क्या है और उनके परिणामस्वरूप प्रदूषण में किस सीमा तक कमी आयी है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य-कलाप केन्द्र तथा राज्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि के आधार पर सारे देश में चलाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वनीकरण के लिए निर्धारित राज्य-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं। (देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 54)

देश भर में चयनित 50 जिलों में किए गए नमूना जांच के आधार पर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवर्ष जीवितता दर अध्ययन किए जाते हैं। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य-कलापों के संबंध में किए गए नमूना जांच पूरे कर लिए गए हैं। 1993-94 के दौरान किए गए वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों की नमूना जांच की जा रही है। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के नमूना जांच के नतीजे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) इन नमूना जांचों से पता चलता है कि स्थान-वार और प्रजाति-वार भिन्नता को देखते हुए वृक्षारोपण की समग्र जीवितता दर आमतौर पर 55% से 80% के बीच रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में केन्द्र और राज्य योजना निधि से सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखी गई कुल धनराशि का प्रावधान निम्न प्रकार है:

वर्ष	लाख रुपए
1991-92	75198.96
1992-93	79288.02
+1993-94	90177.44

+(अनंतिम)

वर्ष 1995-96 के आवंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) तथा (घ) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य-कलापों की निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी-अपनी व्यवस्थाएं हैं। वनीकरण कार्यक्रम के तहत लगाई गई पौद कई कारणों से नष्ट हो जाती है, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, जैविक दबाव विशेषकर आवारा पशुओं द्वारा चराई, रोग, कठिन मृदीय परिस्थितियां आदि। राज्य सरकारें उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करती हैं जो लगाई गई पौध को क्षति पहुंचाने के लिए दोषी पाए जाते हैं।

(ङ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 अवक्रमित वन-क्षेत्रों का सुधार करके, निजी, सामुदायिक तथा अन्य भूमियों पर वृक्षारोपण करके व कृषि-वानिकी चलाकर देश के कुल भूमि-क्षेत्र के कम से कम एक-तिहाई क्षेत्र को वनावरण/वृक्षावरण के अन्तर्गत लाए जाने और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को शामिल करके एक व्यापक जन-आंदोलन चलाए जाने पर बल देती है। चूंकि वृक्ष प्रकाश-संश्लेषण क्रिया से आक्सीजन